

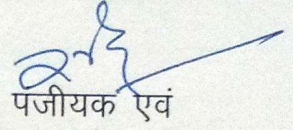
कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/प्राशि/पविप/प्राशिपुप(8वीं)/प्राशिअमु(5वीं)/परीक्षा का.2018

दिनांक: 07.02.2018

शुद्धि पत्र

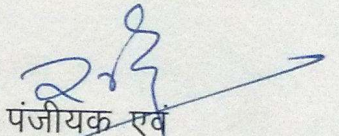
प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण परीक्षा 2018 हेतु पूर्व जारी परीक्षा कार्यक्रम मे तृतीय भाषा में आंशिक संशोधन करते हुए दिये गये विषय कोड पंजाबी(73) के स्थान पर पंजाबी(75) एवं गुजराती(75) के स्थान पर गुजराती(73) पढ़ा जावे। शेष शर्तें पूर्ववत यथावत रहेगी।



पंजीयक एवं
समन्वयक(5वीं-8वीं बोर्ड)
शिक्षा विभागीय परीक्षाएं,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान
2. प्राचार्य समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाइट)



पंजीयक एवं
समन्वयक(5वीं-8वीं बोर्ड)
शिक्षा विभागीय परीक्षाएं,
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, राजस्थान, बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा-2018

-परीक्षा कार्यक्रम-

समय :- सांय 2 बजे से 4:30 बजे तक

दिनांक	वार	विषय(कोड)
15 मार्च 2018	गुरुवार	हिन्दी(01)
16 मार्च 2018	शुक्रवार	अंतराल
17 मार्च 2018	शनिवार	अंग्रेजी(02)
18 मार्च 2018	रविवार	अवकाश
19 मार्च 2018	सोमवार	चेटीचण्ड अवकाश
20 मार्च 2018	मंगलवार	विज्ञान(07)
21 मार्च 2018	बुधवार	अंतराल
22 मार्च 2018	गुरुवार	सामाजिक विज्ञान(08)
23 मार्च 2018	शुक्रवार	अंतराल
24 मार्च 2018	शनिवार	तृतीय भाषा-संस्कृत(71), उर्दू(72), पंजाबी(75), सिन्धी(74), गुजराती(73), संस्कृत(95-संस्कृत शिक्षा विभाग)
25 मार्च 2018	रविवार	अवकाश
26 मार्च 2018	सोमवार	गणित(09)

नोट:-

- उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी।
- परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें।
- दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Alvino), तथा मायोपिया (Myopia), सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), पोलियो(Polio), लकवा/जन्मजात विकलांगता तथा मूक एवं बधिर(Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा।
- अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त तथा (Moderate) एवं (Severe Cases) में श्रुतलेखक देय होगा।
- परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नंदस्ते के सदस्यों /निरीक्षकों आदि को तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जाएगा।
- परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखें।
- परीक्षा कक्ष में केलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है।
- प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है।
- प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्त में "समाप्त" शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर